भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3899

(सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर निधि के दुरुपयोग के लिए शास्ति

3899. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर निधि का उपयोग व्यापक जनहित के अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए किए जाने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवंटित सीएसआर निधि का उपयोग प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण आजीविका का संवर्धन करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निधियों के उपयोग संबंधी कोई लेखापरीक्षा या समीक्षा की गई है और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास सीएसआर निधि के दुरुपयोग के लिए नियमों को सुदृढ़ किए जाने और शास्ति लगाए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संसद सदस्यों (एमपी) को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर निधि के लिए योजनाओं या परियोजनाओं की सिफारिश करने की अनुमति है और यदि हां, तो ऐसे प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और इसकी सीमा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सीएसआर निधि का उपयोग प्रभावी पहलों के लिए सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अंतर्गत सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड, अपनी सीएसआर समिति की अनुशंसा के आधार पर, कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उस पर निर्णय लेने, उसे क्रियान्वित करने तथा उनकी निगरानी करने का अधिकार रखता है। यह समिति सीएसआर नीति का निर्माण एवं अनुशंसा करती है, जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों के अनुरूप कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यों/कार्यकलापों का विवरण होता है। सरकार कारपोरेट संस्थाओं को किसी विशिष्ट क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कोई निदेश जारी नहीं करती है।

(ख): सीएसआर के विधिक ढांचे में सीएसआर निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का विकास क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(ग) एवं (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा क्रियान्वित सीएसआर नीति का प्रकटीकरण करना आवश्यक है। साथ ही, कंपनी के बोर्ड को स्वंय को संतुष्ट करना होता है कि वितरित की गई निधियों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों तथा उसी प्रकार से किया गया है जैसा कि उसके द्वारा अनुमोदित किया गया है, तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अथवा वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस आशय का प्रमाण देगा।

जारी.....2-

सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण-आधारित है तथा सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय का कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया जाना आवश्यक है। मंत्रालय द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 [सीएआरओ, 2020] अधिसूचित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू है और जिसके अंतर्गत लेखा परीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक होता है। जब भी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो अभिलेखों की विधिवत जांच के उपरांत तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, ऐसी अनुपालन न करने वाली कंपनियों तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ): सीएसआर विधिक ढांचे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(च): अधिनियम की अनुसूची VII में उन कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सीएसआर के अंतर्गत किया जा सकता है, और जो समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3899 के भाग (ख) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1	कृषि वानिकी	3.47	0.65	0.70
2	पशु कल्याण	3.16	2.96	20.05
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएँ/ आश्रित	9.56	4.98	17.99
4	कला और संस्कृति	26.36	69.71	120.11
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	10.18	21.19	24.82
6	शिक्षा	825.93	669.72	884.13
7	पर्यावरणीय स्थिरता	275.58	265.67	243.96
8	लैंगिक समानता	1.28	3.02	2.91
9	स्वास्थ्य देखभाल	1,386.65	1,527.74	1,494.16
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ	31.81	156.47	524.50
11	गरीबी, भूख, कुपोषण का उन्मूलन	119.69	23.92	63.94
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	380.66	372.84	442.33
13	सुरक्षित पेयजल	33.58	39.91	127.53
14	स्वच्छता	142.77	226.41	105.13
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	7.32	5.40	3.26
16	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास बनाना	1.71	6.10	5.20
17	अनाथालय की स्थापना	1.37	2.02	0.92
18	स्लम क्षेत्र का विकास	36.23	2.21	4.83
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएँ	14.40	20.55	9.59
20	विशेष शिक्षा	3.99	11.66	12.17
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.61	-	-
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	56.91	102.50	129.16
23	व्यावसायिक कौशल	142.33	142.97	169.40
24	महिला सशक्तिकरण	22.21	29.89	43.90
25	अन्य केंद्रीय सरकारी निधियाँ	869.43	403.58	319.98
26	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	-	-	2.52
	कुल	4,407.17	4,112.08	4,773.17

(आंकड़े 31.03.2025 तक) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए अथवा ऐसे एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया।